समाहरणालय, समस्तीपुर
समस्तीपुर–848101
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0:– 06274–222300 (का0)
06274–222301 (आ0)
फैक्स सं0 :– 06274–222216
email:- dm-samastipur.bih@nic.in

संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर समस्तीपुर जिला में 10 (दस) अतिरिक्त देशी नावों का क्रय किया जाना है। इस हेतु इच्छुक निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद निविदा दिनांक 05-8-17 के 1.00 बजे अप० तक आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, समस्तीपुर में प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदा को दिनांक को 3.00 बजे अप० में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

सामग्री का विवरण:–

क्रमांक	सामग्री का नाम	साईज	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	बड़ी नाव मोटर चालित	35 फीट लम्बा, 8 फीट चौड़ा 2 फीट 6 इंच गहरा मोटर 5 H.P. सहित	लकड़ी (जामुन, सखुआ) तख्ता की मोटाई 1.25'',1.5'',2'' 70% जामुन 30% सखुआ
2	बड़ी नाव	35 फीट लम्बा, 8 फीट चौड़ा 2 फीट 6 इंच गहरा	लकड़ी (जामुन, सखुआ) तख्ता की मोटाई 1.25'',1.5'',2'' 70% जामुन 30% सखुआ

निविदा की शर्त्तें:–

1. निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शील्ड लिफाफा में जमा करना होगा।
2. अग्रधन के रूप में निविदादाता को 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा जो जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से होगा।
3. VAT नं० के साथ वित्तीय वर्ष– 2015–16 का वार्षिक विवरणी देना होगा।
4. वित्तीय वर्ष–2015–16 का 40.00,000.00 (चालीस लाख) का अद्यतन तीन वर्षो का टर्न ओवर से संबंधित प्रमाण–पत्र देना होगा।

तकनीकी निविदा:–

5. तकनीकी निविदा योग्य पाये जानेवाले निविदाओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
6. निविदा के साथ M.S.M.E. का उद्योग आधार संलग्न करना होगा।
7. तकनीकी निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन एवं GST निबंधन कर प्रमाण–पत्र/आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN कार्ड की छायाप्रति, कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा एवं तीन वर्षो का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
8. निविदा के साथ किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।

वित्तीय निविदा:–

9. वित्तीय निविदा में प्रति नाव साईज के अनुसार दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

अन्य शर्त्त:–

10. सफल निविदादाता को उपर्युक्त शर्त्तो के अनुरूप तीन दिनों के अन्दर एकरार–नामा करना होगा।
11. न्यूनतम दर वाले सफल निविदादाता द्वारा कार्यादिवस के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर नाव की आपूर्ति करनी होगी।
12. निविदा के शर्त्तो के अनुरूप नाव की आपूर्ति नहीं करने पर भुगतान नहीं किया जाएगा एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

13. निर्धारित मूल्य पर जिला के किसी भी स्थान पर नाव की आपूर्ति करनी होगी इसके लिए अलग से कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
14. सामग्रियों के आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा।
15. न्यूनतम दर पर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एक से अधिक फर्मो को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
16. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार GST एवं आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

18/7/18

जिला पदाधिकारी
समस्तीपुर।